नियम 32 : अपील के प्रारूप का अस्वीकार किया जाना या संशोधन

(1) रजिस्ट्रार, अपने विवेकानुसार, पर्याप्त कारण दर्शाए जाने पर, अपील के ऐसे प्रारूप को स्वीकार कर सकेगा, जिसके साथ नियम 21 में निर्दिष्ट दस्तावेज संलग्न नहीं है या जो किसी अन्य प्रकार से त्रुटिपूर्ण है, और ऐसे मामलों में अपीलार्थी से, यथास्थिति, ऐसे दस्तावेज फाईल करने की अपेक्षा कर सकेगा या ऐसे समय के भीतर आवश्यक संशोधन कर सकेगा, जो वह अनुज्ञात करें, जो किसी भी दशा में तीस दिन से अधिक नहीं होगा।

(2) रजिस्ट्रार अपील के प्ररूप को अस्वीकार कर सकता है, यदि उसमें निर्दिष्ट दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाते है, या अनुमत समय–सीमा के भीतर संशोधन नहीं किए जाते हैं;

(3) *अध्यक्ष अपने विवेकानुसार अपील अधिकरण के किसी अधिकारी को निम्नलिखित के लिए प्राधिकृत कर सकेगा;

(क) दस्ती रूप से दायर किए गए किसी भी अपील प्ररूप, आवेदन या दस्तावेज को वापस नहीं करेगा जो इन नियमों के अनुरूप नहीं है; और

(ख) निर्दिष्ट समय में त्रुटियों को दूर करने के पश्चात् दस्तावेजों को पुनः फाईल करने की अनुमति दी जाएगी।

(4) अभ्यावेदन पर, संबंधित न्यायपीठ अपने विवेकानुसार या तो उपरोक्त नियमों के अनुसार अपील के प्रारूप को स्वीकार कर सकती है, किन्तु अपील या आवेदन को उसके मूल क्रमांक पर बहाल नहीं किया जा सकता, जब तक कि न्यायपीठ पर्याप्त कारण दर्शाए जाने पर उसे बहाल करने की अनुमति न दे।

---

* राजपत्र में ''राष्ट्रपति'' छपा है।